



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

दिनांक- 18/03/2026

पत्रांक:-Q.A./60/2024/20 /Accom. Sec.

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. no.	Name	Designation	Department	Quarter type
1.	Dr. Bhagyamani	Assistant Professor	Gastroenterology	Old D Type- 5/4

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) अनुपालन (लेखा शाखा) - आवास का नवीनीकरण कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही आवास का आवंटन स्वीकृति प्रदान की जाएगी। संबंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा आवास का अधिग्रहण किए जाने की तिथि से आवास भत्ता की कटौती प्रभावी होगी। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता (सिविल) द्वारा आवास अधिग्रहण की सूचना लेखा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगी।
(पत्रांक Q.A/59/2024/55/Accom.Sec दिनांक 18/09/2025)
- (2) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से सम्पर्क करें।
- (3) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से सम्पर्क करें।

हो/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 18/03/2026

ज्ञापांक:- Q.A./60/2024/20/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- उक्त संकाय/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./60/2024/ 21 /Accom. Sec.

दिनांक- 18/03/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त चिकित्सक को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 12/11/2025 के आलोक में, पूर्व में आवंटित आवास को रद्द करते हुये, उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. no.	Name	Designation	Department	Previous allotted quarter	Changed Quarter
1.	Dr. Md. Jawed Iqbal	Dental officer	PGIDER	Old C Type- 1/8	Old D Type- 4/3

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) अनुपालन (लेखा शाखा) - आवास का नवीनीकरण कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही आवास का आवंटन स्वीकृति प्रदान की जाएगी। संबंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा आवास का अधिग्रहण किए जाने की तिथि से आवास भत्ता की कटौती प्रभावी होगी। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता (सिविल) द्वारा आवास अधिग्रहण की सूचना लेखा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगी। यह केवल प्रथम आवास आवंटन में लागू होगा। (पत्रांक Q.A./59/2024/55/Accom.Sec दिनांक 18/09/2025)
- (2) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (3) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

ह०/-

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 18/03/2026

ज्ञापांक:- Q.A./60/2024/ 21 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- उक्त संकाय/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Jed
18/03/26

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14